S. Time 27.9.98

पत्रांक:- 7/वि1-30/75-30 (भा) ——

बिहार सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

श्री उमाशंकर कुमार,
सरकार के उप सचिव, बिहार।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

पटना, दिनांक   सितम्बर, 1998।

विषय:- गोस्सनर कॉलेज, राँची में कला प्रतिष्ठा एवं वाणिज्य संकाय में प्रतिष्ठा स्तर एवं विज्ञान संकायों में प्रतिष्ठा स्तर का स्थायी संबंधन तथा भूगर्भ विज्ञान में संबंधन का दीर्घीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 349 दिनांक-3-2-98 एवं 347 दिनांक-18-2-98 के प्रसंग में निदेशानुसार मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने गोस्सनर कॉलेज, राँची को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित संकायों एवं विषयों में स्नातक कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में प्रतिष्ठा स्तर का स्थायी संबंधन एवं भूगर्भ विज्ञान विषयों में प्रतिष्ठा स्तर का संबंधन के दीर्घीकरण अधोलिखित शैक्षणिक सत्रों के लिए विश्वविद्यालय एवं [illegible] प्रस्ताव में निम्नांकित शर्तों के साथ सहमति प्रदान करने की कृपा की है :-

संकाय/स्तर	विषय	शैक्षणिक सत्र
1-स्नातक कला प्रतिष्ठा स्तर	1-अंग्रेजी, 2-हिन्दी, 3-इतिहास, 4-भूगोल, 5-अर्थशास्त्र, 6-गृह विज्ञान, 7-[illegible], 8-राजनीति विज्ञान, 9-दर्शनशास्त्र, 10-संस्कृत, 11-उर्दू, 12-बंगला बारह विषय	सत्र 1996-97 से स्थायी संबंधन।
2-स्नातक वाणिज्य संकायों प्रतिष्ठा स्तर	सभी अनिवार्य सहित।	सत्र 1996-97 से स्थायी संबंधन।
3-स्नातक विज्ञान संकायों प्रतिष्ठा स्तर।	1-भौतिकी, 2-रसायनशास्त्र, 3-गणित, 4-वनस्पति विज्ञान, 5-जन्तु विज्ञान।	सत्र 1997-98 से स्थायी संबंधन।
4-स्नातक विज्ञान संकायों प्रतिष्ठा	1-भूगर्भ विज्ञान एक विषय।	सत्र 1998-99 से 2000-2001 तक के लिए संबंधन का दीर्घीकरण।

2- उक्त संबंधन/संबंधन के दीर्घीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान भार वहन नहीं किया जायेगा।

3- संबंधन की शर्तों [illegible]

परिस्थिति में महाविद्यालय द्वारा छात्रों का नामांकन नहीं किया जायेगा और न ही राज्य सरकार की सहमति की प्रत्याशा में छात्रों का नामांकन किया जायेगा ।

4- इन स्थायी संबंधन / दीर्घीकरण के लिए आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की अनुशंसा के उपरान्त 30 नवम्बर तक अवश्य जमा किये जायें ताकि उन्हें इस सत्र के संबंधन दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सके ।

5- महाविद्यालय पूर्व निर्गत पत्रों में संबंधन संबंधी सभी शर्तों को अविलम्ब पूरी कर दें तथा उसे बराबर पूरा करते रहें, अन्यथा संबंधन के संबंध में अगले प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

6- निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार को सूचित किया जा चुका है ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(कमलेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव, बिहार

[illegible]
20-9-

ज्ञापांक:-के/स4-38/73 उ0शि0:—1597—: पटना, दिनांक 20 सितम्बर, 1990 ।

प्रतिलिपि निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ प्राचार्य, [illegible], रांची/ कुलसचिव, [illegible] विश्वविद्यालय-15 एवं कार्यालय सहायक, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव, बिहार

सच्ची प्रतिलिपि

पत्रांक के/ए -4-0 38/73 शि 0 - 962
बिहार सरकार , शिक्षा विभाग ।

प्रेषक,

श्री कलपति शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव , बिहार ।

सेवा में,

कुल सचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची ।

महाशय,

पटना, दिनांक 26 मार्च 79

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि राज्य सरकार, गौस्सनर कॉलेज, राँची का पूर्व से सम्बन्धन प्राप्त विषयों में बी0 ए0 पास तथा आई0 एस0 सी0 स्तर का सम्बन्धन 1979-80 से दो सत्रों के लिए दीर्घीकरण के प्रस्ताव में सहमत है ।

2- राज्य सरकार इस महाविद्यालय को गणित [illegible] एवं जीव विज्ञान ग्रुप में 16 छात्रों के नए सत्र 1978 -79 से दो सत्रों के लिए बी0 एस0 सी0 पास स्तर तक नया सम्बन्धन भी निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान करने के प्रस्ताव में सहमत है :-

1- निर्धारित सुरक्षा निधि विश्वविद्यालय में जमा की जाय ।

2- इन विषयों में एक-एक व्याख्याता की नियमानुसार विधिवत नियुक्ति की जाय ।

3- जहाँ तक राजनीति विज्ञान एवं अर्थ0 शास्त्र0 में प्रतिष्ठा का स्तर तक नये सम्बन्धन का प्रस्ताव है . इस सम्बन्धन में अगले सत्र में विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण कराकर संयुक्त प्रतिवेदन विचारार्थ भेजा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 /- कलपति शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव बिहार
पटना ।

ज्ञापांक 962 दिनांक 26 मई 79

प्रतिलिपि विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना / प्रधानाचार्य, गौस्सनर कॉलेज, राँची तथा प्र0 के0 शिक्षा विभाग को सूचनार्थ . अग्रसारित :

ह0/- कलपति शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार सरकार,
पटना ।

12

पत्रांक-14/पी2012(1)/80-मा0-317/

बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग ।
---o---

प्रेषक,
श्री एम0 जी0 बन्धोपाध्याय,
सरकार के अपर सचिव, बिहार ।

सेवा में,
कुल सचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची ।

पटना, दिनांक 17 मार्च, 1990 ।

विषय:- गोसनर कालेज, राँची में शिक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी/81-82 दिनांक-16.12.88 के प्रसंग में मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने गोसनर कालेज, राँची में निम्नांकित विषयों में व्याख्याताओं के वित्तीय भार रहित अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति में सहमति प्रदान की है :-

क्रमांक	विषय	पदनाम	पदों की संख्या जिनकी स्वीकृति दी गई है ।
1	2	3	4
1-	बॉटनी	व्याख्याता	3 पद(तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम पद)
2-	प्राणीशास्त्र	व्याख्याता	2 पद(चतुर्थ एवं पंचम पद)
3-	भौतिकीशास्त्र	व्याख्याता	3 पद(चतुर्थ/पंचम तथा छठा पद)
4-	रसायनशास्त्र	व्याख्याता	2 पद(पंचम तथा छठा पद)
5-	गणित	व्याख्याता	2 पद(चतुर्थ एवं पंचम पद)
			कुलयोग:-12(बारह पद)

2- उपर्युक्त स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय का कोई अंश राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा ।

3- उपर्युक्त स्वीकृत पदों पर आरक्षण के परिनियम के आलोक में नियुक्ति की जायेगी ।

4- निदेशक(उच्च शिक्षा), बिहार को इसकी सूचना दे दी गई है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एम0 जी0 बन्धोपाध्याय)
सरकार के अपर सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार ।

Attested 29/12/98
Principal
Gossner College, Ranchi

अ भ ग/

ज्ञापांक- 317 / [illegible] पटना, दिनांक 17 मार्च, 1990 ।

प्रतिलिपि निदेशक (उच्च शिक्षा), बिहार, पटना/वित्त पदाधिकारी, राँची विश्वविद्यालय, राँची/प्राचार्य, गोसनर कॉलेज, राँची/प्रभारी पदाधिकारी-14 कुअर राजेन्द्र सिन्हा को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(एन० जी० बन्धोपाध्याय)
सरकार के अपर सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार ।

---0---

पत्रांक जे/पी20121/80शि0--------:
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग।

प्रेषक

श्री राम शंकर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव, बिहार।

सेवा में,

कुलसचिव,
रांची विश्वविद्यालय, रांची।

पटना, दिनांक | मई, 87

विषय:- गोसनर कालेज, रांची में शिक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने गोसनर कालेज, रांची में निम्नांकित विषयों में शिक्षकों के वित्तीय भार रहित अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है :-

क्रमांक	विषय	पदनाम	पदों की संख्या जिसकी स्वीकृति दी गयी है।
1-	हिन्दी	व्याख्याता	1 पद (छठा)
2-	इतिहास	व्याख्याता	2 पद (तृतीय एवं चतुर्थ)
3-	मनोविज्ञान	व्याख्याता	1 पद (तृतीय)
4-	भूगोल	व्याख्याता	2 पद (तृतीय एवं चतुर्थ)
5-	मानव विज्ञान	व्याख्याता	1 पद (तृतीय)
6-	दर्शनशास्त्र	व्याख्याता	1 पद (तृतीय)
7-	अर्थशास्त्र-ग्रामीण अर्थशास्त्र	व्याख्याता	2 पद (तृतीय एवं चतुर्थ)
8-	वाणिज्य	व्याख्याता	2 पद (सप्तम एवं अष्टम)
9-	भौतिकी	व्याख्याता	2 पद (द्वितीय एवं तृतीय)
10-	रसायन	व्याख्याता	2 पद (द्वितीय एवं तृतीय)
11-	गणित	व्याख्याता	1 पद (तृतीय)
12-	वनस्पतिशास्त्र	व्याख्याता	1 पद (द्वितीय)
13-	प्राणिशास्त्र	व्याख्याता	2 पद (द्वितीय एवं तृतीय)
14-	भूगर्भ	व्याख्याता	1 पद (प्रथम)
			21 पद (एक्कीस पद)

2) उपर्युक्त स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय का कोई अंश राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायगा।

3) उपर्युक्त स्वीकृत पदों पर आरक्षण के परिनियम के आलोक में नियुक्ति की जायगी।

4) निदेशक (उ0शि0) बिहार को इसकी सूचना दे दी गई है।

विश्वासभाजन

(राम शंकर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 338 पटना, दिनांक 1 मई, 87

प्रतिलिपि निदेशक (उच्च शिक्षा) बिहार/ प्रधानाचार्य, गोस्सनर कॉलेज, राँची/ लेखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी-14, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

1/5/87

(राम शंकर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार।

पत्रांक के/वि2-0121/80शि०——:
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग।

प्रेषक

श्री प्रमोद कुमार,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

पटना, दिनांक 27 अप्रैल, 86

विषय:- गोस्सनर कालेज, राँची में दिनांक 16-8-1976 के पूर्व के सृजित पदों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 97/4812 दिनांक 30-7-1982 के प्रसंग में मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने गोस्सनर कालेज, राँची में कार्यभार के आधार पर दिनांक 16-8-1976 के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सृजित निम्नांकित शिक्षकीय पदों को विधिवत सृजित पद घोषित करने की कृपा की है। शेष 20 पद जो राँची विश्वविद्यालय द्वारा सृजित है विधिवत सृजित पद नहीं है क्योंकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 35 के अनुसार इन पदों के सृजन पर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं है।

2- विधिवत सृजित पदों का विवरण निम्नप्रकार है :-

क्रम संख्या	विषय	पदों की संख्या जिसकी मान्यता दी गयी है
1	2	3
1-	प्राचार्य	एक पद
2-	हिन्दी	चार पद (प्रथम से चौथा पद)
3-	अंग्रेजी	चार पद (प्रथम से चौथा पद)
4-	बंगला	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
5-	उर्दू	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
6-	मुण्डारी	एक पद (प्रथम पद)
7-	कुड़ुख	एक पद (प्रथम पद)
8-	नागपुरिया	एक पद (प्रथम पद)
9-	संथाली	एक पद (प्रथम पद)
10-	संस्कृत	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
11-	राजनीतिशास्त्र	चार पद (प्रथम से चौथा पद तक)
12-	अर्थशास्त्र	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
13-	इतिहास	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
14-	दर्शनशास्त्र एवं तर्कशास्त्र	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
15-	मनोविज्ञान	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)

क्र०पृ०उ०

		दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
16-	भूगोल	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
17-	मानवशास्त्र	एक पद (प्रथम पद)
18-	भौतिक शास्त्र	एक पद (प्रथम पद)
19-	रसायनशास्त्र	दो पद (प्रथम एवं द्वितीय पद)
20-	गणित	एक पद (प्रथम पद)
21-	वनस्पतिशास्त्र	एक पद (प्रथम पद)
22-	प्राणिशास्त्र	एक पद (प्रथम पद)
23-	वाणिज्य	छः पद (प्रथम से षष्ठम पद तक)

कुल योग 49 पद (व्याख्याता पद)
(48 + 1 = 49) (एक पद प्राचार्य एवं सहायक पद व्याख्याता)

3- उक्त महाविद्यालय में अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कार्यभार प्रतिवेदन अस्पष्ट है। अतः पद सृजन के सम्बन्ध में कार्यभार का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भर कर शीघ्र प्रेषित करें ताकि उसकी जाँच कर शेष पदों के सृजन का औचित्य पर निर्णय लिया जा सके।

4- वित्त (व्यय) विभाग/बिहार को इसकी सूचना दे दी गयी है।

विश्वासभाजन

ह0-

(शकील अहमद)
सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक 631 पटना, दिनांक 29 अप्रील, 06

प्रतिलिपि निदेशक(उ0शि0)(बिहार/सचिव, कालेज सेवा आयोग, बि... कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय ... पटना/प्राचार्य, गोस्सनर कालेज, राँची/जिला पदाधिकारी, राँची/जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/ कुँवर राजेन्द्र सिंह एवं प्रशा... शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(शकील अहमद)
सरकार के विशेष सचिव,

पत्रांक 8/वि 2-0121/86 शि0—— ;
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

श्री राम शंकर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव, बिहार।

सेवा में,

कुलसचिव,
रांची विश्वविद्यालय, रांची।

पटना, दिनांक 7/ जुलाई, 87

विषय:- गोस्सनर कालेज, रांची में दिनांक 16-8-76 के पूर्व सृजित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने गोस्सनर कालेज, रांची में अल्पसंख्यक के आधार पर दिनांक 16-8-76 के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सृजित निम्नांकित शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों को विधिवत सृजित पद घोषित करने की कृपा की है:-

2- विधिवत सृजित पदों का विवरण निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या जिसकी मान्यता दी गयी है।
1-	प्रधान लिपिक	1 (एक पद)
2-	लेखा लिपिक	1 (एक पद)
3-	उच्चवर्गीय लिपिक	3 (तीन पद) +1
4-	निम्नवर्गीय लिपिक	3 (तीन पद) +1
5-	भण्डार लिपिक	1 (एक पद)
6-	टंकक	1 (एक पद)
7-	पुस्तकालयध्यक्ष	1 (एक पद)
8-	सहायक पुस्तकालयध्यक्ष	1 (एक पद)
9-	पी0टी0 आई0	1 (एक पद)
10-	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	10 (दस पद)
11-	रात्रि प्रहरी	2 (दो पद)
12-	प्रयोगशाला प्रभारी (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉटनी, जूलोजी, साइकोलोजी, भूगोल एवं मानव शास्त्र)	7 (सात पद)
13-	गे0 ग्राउन्ड अटेन्डेन्ट	1 (एक पद)
14-	स्टोर कीपर (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉटनी, जूलोजी, मनोविज्ञान, भूगोल एवं मानवशास्त्र)	6 (छः पद)
15-	प्रयोगशाला वाहक (फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉटनी एवं जूलोजी)	4 (चार पद)
		43 (तैंतालिस पद)

Attested
Principal
Gossner College
Ranchi

क्रमशः

विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया जाय।

ह०-
सी।

विश्वासभाजन

ह०-
(राम चन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार।

ज्ञापांक 6585 पटना, दिनांक 27 जुलाई, 07

प्रतिलिपि विश्वविद्यालय निदेशक/उपनिदेशक, गोपनीय शाखा रोकड़/लेखा पदाधिकारी, रोकड़/वित्त पदाधिकारी, राजकीय विद्यालय, सचिवालय-14, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

ह०
(राम चन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार।

ह० /07

पत्रांक:-15/एम1-21/2000उ0शि0:————————:

बिहार सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग ।

प्रेषक,

श्री उमाशंकर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव, बिहार ।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची ।

पटना, दिनांक नवम्बर, 2000 ।

विषय:- गोस्सनर कॉलेज, राँची के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सत्यापन एवं वेतन निर्धारण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विश्वविद्यालय एवं [illegible]द्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रेषित अभिलेखों/कागजातों के आधार पर गोस्सनर कॉलेज, राँची के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सत्यापन एवं दिनांक-[illegible] के प्रभाव से लागू वेतनमान में अधिनियमों, परिनियमों एवं विभिन्न न्यायादेशों [illegible] पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निदेशों के आलोक में यथा [illegible] वर्णित कर्मियों के वेतन का सत्यापन किया गया । सत्यापित पद एवं वेतन [illegible] मूल रूप में संलग्न है ।

2- अगर किसी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को इस वेतन विवरणी में निर्धारित वेतन [illegible] राशि का भुगतान पूर्व में हुआ है तो अगले वेतन विपत्र से अधिक भुगतान राशि को [illegible] करते हुए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी के नाम के आगे अभ्युक्ति स्तम्भ में कटौती की [illegible] राशि का उल्लेख सुनिश्चित करायेंगे ।

3- अगला वेतन विपत्र निर्धारित वेतन के आधार पर तैयार किया जायेगा, [illegible] भुगतान भी निर्धारित वेतन के आधार पर किया जायेगा । जिसके लिए सत्यापित पदों एवं निर्धारित वेतन विवरणी की प्रति विश्वविद्यालय स्तर से महाविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(उमाशंकर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव, बिहार ।

Attested
02-02-2008
Bursar
Gossner College, Ranchi

ज्ञापांक:-15/एम1-21/2000उ0शि0: 1717 ; पटना, दिनांक 13 नवम्बर, 2000 ।

प्रतिलिपि निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार/लेखा पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग [illegible] 4 प्राचार्य, गोस्सनर कॉलेज, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी-15, कार्यालय सहायक (श्री [illegible]) एवं लेखापाल, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

13/11/2000

(उमाशंकर प्रसाद)
सरकार के [illegible]

GOSSNER COLLEGE, RANCHI

Post Sanctioned with Finance (Teaching staff)

Subject	Principal	Lecturer
1.	2.	3.
	1	05 FIVE
Hindi		05 FIVE
English		02 TWO
Bengali		02 TWO
Urdu		01 ONE
Mundari		01 ONE
Kurukh		01 ONE
Nagpuri		01 ONE
Santhali		02 TWO
Sanskrit		04 FOUR
Pol Science		02 TWO
Economics		02 TWO
History		02 TWO
Psychology		02 TWO
Geography		02 TWO
Anthropology		03 THREE
Physics		04 FOUR
Chemistry		02 TWO
Math		01 ONE
Zoology		01 ONE
Botany		07 SEVEN
Commerce		02 TWO
Philosophy		
Total	1 (ONE)	54 FIFTY [illegible]
Grand Total		55 [illegible]

Attested
21-02-2008
Bursar
Gossner College, Ranchi

(P. Bhengra)
21-7-2000